संख्या-267/2017/2264/22-2-2016-17(260)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अयोध्या पुत्र श्री रामलाल, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44197-201/प्रोबेशन-3 (एम-13-12-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 15-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अयोध्या पुत्र श्री रामलाल, ग्राम-अडबेनिया ग्रेट, थाना-रामकोट, जनपद-सीतापुर का निवासी है। सुशीला एवं जगवती नहर के पास शौच के लिए गयी थी। सुशीला एवं जगवती द्वारा बलात्कार के प्रयास का विरोध करने पर बन्दी ने दिनांक 14.03.1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से वारकर सुशीला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-795/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 3(2)5 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश सं0-2 सीतापुर के आदेश दिनांक 12-01-2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.03.2016 तक 17 वर्ष 11 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने नहर के पास शौच के लिए गयी सुशीला एवं जगवती द्वारा बलात्कार के प्रयास का विरोध करने पर दिनांक 14.03.1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से वारकर सुशीला की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अयोध्या पुत्र श्री रामलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अयोध्या (बन्दी संख्या-41335) पुत्र श्री रामलाल, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-267/2017/2264(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-267/2017/2264@22-2-2016-17(260)/2016

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी अयोध्या (बन्दी संख्या-41335) पुत्र श्री रामलाल, ग्राम-अडबेनिया ग्रेट, थाना-रामकोट, जनपद-सीतापुर का निवासी है। सुशीला एवं जगवती नहर के पास शौच के लिए गयी थी। सुशीला एवं जगवती द्वारा बलात्कार के प्रयास का विरोध करने पर बन्दी ने दिनांक 14.03.1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से वारकर सुशीला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-795/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 3(2)5 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश सं0-2 सीतापुर के आदेश दिनांक 12-01-2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.03.2016 तक 17 वर्ष 11 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने नहर के पास शौच के लिए गयी सुशीला एवं जगवती द्वारा बलात्कार का प्रयास का विरोध करने पर दिनांक 14.03.1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से वारकर सुशीला की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अयोध्या पुत्र श्री रामलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in